निगरानी – 2394-PBR/2015

न्यायालयः— माननीय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

प्रक /2015 निगरानी

1. सुरेश पुत्र बलभद्र सिंह रघुवंशी
निवासी ग्राम रिजौदा तह. कोलारस जिला शिवपुरी
म.प्र.

——— आवेदक

विरूद्ध

एस. पी. धाकड़ एड
29/07/15

1. रत्नेश पुत्र शिखरचंद जैन
निवासी ग्राम रिजौदा तह. कोलारस जिला शिवपुरी
म.प्र.

——— अनावेदक

29-7-15

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म.प्र. भू--राजस्व संहिता 1959न्याायालय अनु.वि.अधि. कोलारस जिला शिवपुरी के प्र.क.07/अ—70/14—15 में पारित आदेश दिनांक 30.12.2014 के विरूद्ध निगरानी जानकारी दिंनाक 13.07.2015 अन्दर अवधि प्रस्तुत।

29-7-15

माननीय महोदय,

आवेदकगण की ओर से निगरानी निम्न प्रकार पेश है :—

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्यः—

1. यह कि, विवादित भूमि ग्राम रिजौदा तहसील कोलारस जिला शिवपुरी के सर्वे कं. 50 रकवा 2.410 हें., के संबंध में अनावेदक द्वारा संहिता की धारा 250 के अधीनस्थ न्यायालय तहलीदार कोलारस जिला शिवपुरी के समक्ष एक आवदेन पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया गया जिसका प्रकरण क 07/अ—70/14—15 पर दर्ज किया जाकर आदेश दिंनाक 30.12.2014 से आवेदक को वेदखल किये जाने के आदेश पारित किये गये। उक्त प्रकरण को अनु.वि.अधि. कोलारस जिला शिवपुरी के समक्ष भेजा गया कि आवेदक का उक्त भूमि पर अवैध कब्जा है। उक्त कब्जे को हटाया जाये तथा अर्थ दण्ड भी आरोपित किया जावे साथ ही सिविल जैल की कार्यवाही 6 माह के लिये की जावे। उक्त आधार पर आवेदक के विरूद्ध दिंनाक 30.12.2014 से कारण बताओ नोटिस जारी किये बिना। आवेदक के विरूद्ध संहिता की धारा 250 की कार्यवाही किसी राजनैतिक दबाब के कारण की गई है। इस कारण उक्त भूमि का सीमांकन कब ओर किसके समक्ष किया गया है उक्त आदेश निरस्त कर सीमाकंन आवेदक के समक्ष कराया जावे परन्तु अधि. न्यायालय द्वारा उक्त आपत्ती को नजर अन्दाज कर दिया गया। प्रकरण मे आदेश दिनांक 30.12.2014 आदेश पारित कर दिया गया। जिसकी जानकारी आवेदक को कभी नही दी गई केवल

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0 प्र0,ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक-निग./2394/पीबीआर/2015 जिला शिवपुरी

सुरेश विरूद्ध रत्नेश

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एव अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
17/6/19	प्रकरण आज लिया गया। आवेदक द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी कोलारस, जिला शिवपुरी के प्रकरण क्रमांक- 07/अ-70/2014-15 में पारित आदेश दिनांक 30/12/2014 विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25-9-2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत यह निगरानी सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर जिला शिवपुरी के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। 2/ पक्षकार दिनांक 06/8/19 को कलेक्टर जिला शिवपुरी के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों। 17/6/19 (आर0के0 जैन) सदस्य	